क्र0 सं0	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	टिप्पणी
01	02	

28.10.21

न्यायालय, अभिराम त्रिवेदी वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा

उत्पाद कनफिसकेशन वाद सं0–79/2021 राज्य बनाम अज्ञात

–:आदेशः–

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक–827/म.नि., दिनांक–10.07.2021 के द्वारा मुरलीगंज थाना कांड सं0–224/2021, दिनांक–28.06.2021, धारा–30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 में जब्त हीरो स्प्लेंडर+ मोटर साईकिल जिसका निबंधन सं0–BR-11E-8012 है को राज्यसात करने का प्रस्ताव समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के न्यायालय में प्राप्त हुआ है। चूँकि धटना स्थल पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण उत्पाद कनफिसकेशन वाद सं0–79/2021 राज्य बनाम अज्ञात दर्ज किया है। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद के द्वारा राखे गए पक्ष को सुनवाई के उपरान्त वाद को अंगीकृत किया गया एवं बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58 की उप धारा–2 (15) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नियमानुसार वाद निष्पादन हेतु अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में हस्तांतरित किया है, जिस पर दिनांक–29.07.2021 से कार्यवाही प्रारंभ की गई है। प्राप्त प्रस्ताव में प्रतिवेदित किया है कि विषयोक्त थाना कांड में जब्त मोटर साईकिल को अबैध शराब के साथ बरामद करने के आरोप में कांड दर्ज किया गया है। जब्त मोटर साईकिल को राज्यसात करने की अनुशंसा की है।

चूँकि धटना स्थल पर जब्त मोटर साईकिल के साथ किसी की गिरफ्तारी नहीं होने तथा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सुनवाई की अगली तिथि निर्धारण कर इस न्यायालय के डी0बी0 नं0–12/न्या0, दिनांक–31.07.2021 के द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा से जब्त मोटर साईकिल के मालिक का नाम एवं पता से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा ने अपने कार्यालय के पत्र पत्रांक–487, दिनांक–11.08.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि जब्त मोटर साईकिल निबंधन सं0–BR-11E-8012 जिला परिवहन कार्यालय, पुर्णियाँ से संबंधित है। इस संबंध में जिला परिवहन कार्यालय पुर्णियाँ से पत्राचार अपेक्षित है। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इस न्यायालय के डी0बी0 नं0–24/न्या0, दिनांक–11.08.2021 के द्वारा उल्लेखित जब्त मोटर साईकिल के मालिक के नाम एवं पता संबंधी प्रतिवेदन की मांग जिला परिवहन पदाधिकारी, पुर्णियाँ से की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी, पुर्णियाँ से एदत् संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने एवं वाद के निस्तारण में हो रहे विलंब के कारण दिनांक–30.09.2021 को विज्ञ उत्पाद अधिवक्ता ने समाचार पत्र में आम सूचना प्रकाशन कराए जाने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। सुनवाई के उपरान्त आम सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराए जाने का निर्णय लिया गया। जिला विधि शाखा, मधेपुरा के पत्रांक–79, दिनांक–04.10.2021 के माध्यम से आम सूचना नोटिस दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को पत्र भेजा गया। दिनांक–07.10.2021 को दैनिक जागरण हिन्दी समाचार पत्र में आम सूचना प्रकाशित हुआ है, जिसका प्रेस कतरण अभिलेख में रक्षित है। आम सूचना निर्गत हुए लगभग एक माह बीत चुका है। फिर भी जब्त मोटर साईकिल की विमुक्ति हेतु कोई दावेदार न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। तृदोपरान्त विधिवत नोटिस तामिला मानते हुए दिनांक–21.10.2021 को एकपक्षीय सुनवाई की गई। विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद का पक्ष विस्तार से सुना गया। रखे गये पक्ष इस प्रकार हैः–

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद का कथन है कि जब्त मोटर साईकिल के लिए दावा/आपत्ति प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा नियमानुसार सभी प्रक्रियाएँ अपना ली गई है। इतनी लम्बी अवधि व्यतीत् के बाद भी कोई दावेदार अपना दावा पेश नहीं किए है। ऐसा प्रतीत् होता है कि मोटर साईकिल मालिक अपने बचाव में पक्ष रखना नहीं चाहते है। एकपक्षीय सुनवाई कर वाद निष्पादन किया जा सकता है। समाचार पत्र में आम सूचना प्रकाशन के उपरान्त यह माना जायेगा कि मोटर साईकिल मालिका को इस आशय की जानकारी प्राप्त हो गई है और नियमतः नोटिस तामिला माना जा सकाता है। मोटर साईकिल मालिक उपस्थित नहीं होना यह दर्शाता है कि अपने ऊपर लगे

आरोप के वे मूक रूप से स्वीकार कर रहे है, जिस कारण अपना पक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर रखना नहीं चाहते है। दूसरी तरफ मोटर साईकिल मालिक की अनुपस्थिति इस ओर ईशारा करता है कि वे आरोप को निराधार साबित करने के लिए सक्षम नहीं है। थाना में दर्ज प्राथमिकी से जाहिर होता है कि दिनांक-28.06.2021 को मुरलीगंज थाना में पद स्थापित पु0स0अ0नि0 प्रेमचन्द पासवान सशस्त्र बल के साथ दिवागश्ती, आसूचना संकलन हेतु थाना से प्रास्थान किया। विभिन्न जगहों से गश्ती एवं चेकिंग करते हुए समय बरीब 14:15 बजे संथाली टोला जोरगामा पहूँचा तथा ग्रामीण सड़क पर वाहन चेकिंग प्रारंभ किया। चेकिंग के क्रम में देखा कि एक मोटर साईकिल पर एक व्यक्ति सवार है तथा मोटर साईकिल के पीछे सीट पर प्लास्टिक के बोरा में बंधा हुआ समान लेकर मीरगंज की ओर तेजी से आ रहा था। पुलिस बल को चेकिंग करते देख वह मोटर साईकिल सवार व्यक्ति मोटर साईकिल पर बंधे समान को मोटर साईकिल सहित नीचे गिराकर भाग गया। भाग रहे व्यक्ति को सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ने का काफी प्रयास किया। परन्तु वह व्यक्ति भागने में सफल हो गया। इसके बाद मोटर साईकिल एवं मोटर साईकिल पर बंधे समान के पास पहूँचा तथा पुलिस बल को देखकर उपस्थित हुए लोगों में से दो स्वतंत्र गवाह के समक्ष एवं अपने साथ गश्ती दल का जमा तलाशी देते हुए विधिवत मोटर साईकिल के सीट पर बंधे प्लास्टिक के बोरा को खोला तो देखा कि उसमें प्लास्टिक के पाउच में देशी चुलोई शराब है। प्लास्टिक का बरीब 60 पाउच प्रत्येग पाउच में 100-100 एम.एल. का जो करीब 06 ली0 देशी चुलाई शराब बरामद हुआ। इसके बाद जमा भीड़ में से ही दो को स्वतंत्र साक्षी बनाकर उनके समक्ष बरामद देशी चुलाई शराब एवं जब्त मोटर साईकिल की विधिवत जब्ती सुची तैयार कर उस पर स्वतंत्र साक्षी से हस्ताक्षर प्राप्त किया गया है। चूँकि धटना स्थल पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण अज्ञात के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जब्त किए गये मोटर साईकिल के मालिक का नाम पता जिला परिवहन कार्यालय, पुर्णियाँ से प्राप्त नहीं होने के कारण आम सूचना भी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा कोई भी पेश नहीं किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है मोटर साईकिल मालिक अपना गाड़ी विमुक्त करने के इच्छुक नहीं है या आरोप को निराधार साबित करने कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। यदि उन्हें कोई आपत्ति रहती, तो निश्चित तौर पर अपना आपत्ति न्यायालय में दर्ज कराते एवं मोटर साईकिल विमुक्ति का अनुरोध करते। चूँकि मोटर साईकिल से प्रतिबंधित सामग्रियाँ देशी चुलाई शराब ढ़ोए जाने के क्रम में पकड़ा गया है, जिस कारण उक्त मोटर साईकिल को देशी चुलाई शराब ढ़ोने के उपयोग में लाये जाने के कारण धारा 56(ध) के अन्तर्गत अधिग्रहण योग्य है एवं उसे अधिग्रहित किया जा सकता है।

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद की दलील सुनने उपरान्त अभिलेख में रक्षित कागजातों को गहनता से देखा गया। बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 (ध) एवं संशोधित अधिनियम-2018 की धारा 13(ख) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "जब कभी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया जाता है तो निम्नांकित वस्तुएँ अधिहरण की भागी होगी यथाः-किसी मादक द्रव्य या शराब ढ़ोने के लिए उपयोग में लाया गया कोई जानवर, जलयान, वाहन या अन्य सवारी।" पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त राज्यसात प्रस्ताव प्रतिवेदन एवं विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद के द्वारा दिए गये तर्क तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि प्रश्नगत जब्त मोटर साईकिल का उपयोग अवैध चुलाई देशी शराब के ढ़ोने के लिए किया जा रहा था, जिसे धटना स्थल पर स्थानीय पुलिस बल के द्वारा जब्त किया गया है।

अतः बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56(ध) एवं बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम-2018 की धारा-13(ख) की परिधि के अन्तर्गत पाये जाने के कारण जब्त हीरो स्प्लेंडर+ मोटर साईकिल जिसका निबंधन सं0-BR-11E-8012 है को अधिग्रहित करते हुए बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा-58 (2) के तहत राज्यसात (Confiscate) करने का आदेश दिया जाता है।

अधीक्षक, मद्यनिषेध मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे मोटर यान निरीक्षक, मधेपुरा से जब्त मोटर साईकिल का मूल्य निर्धारण करवा कर उसे न्यूनतम जमा राशि मानते हुए निलामी

करायेंगे। इस निलामी में भाग लेने वालों में से सबसे अधिक बोली लगाने वालों को ही उच्चतम मूल्य निर्धारित माना जायेगा। चूँकि मोटर साईकिल के मालिकाना हक किसी के द्वारा दावा नहीं किए जाने के कारण निलामी की प्रक्रिया में भाग लेने वाले में से प्रथमतः उच्च बोली लगाने वाले मोटर साईकिल प्राप्त कर सकते है। उच्चतम बोली लगाने वालें को, उनसे राशि भुगतान पश्चात् उन्हें मोटर साईकिल दे दी जाऐगी। निलामी की सभी प्रक्रियाएँ पूर्ण होने के उपरान्त मोटर साईकिल विमुक्ति की सुचना संबंधितों को अपने स्तर से देगें। वाहन निलामी से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवा दी जाऐगी।

इस निदेश के साथ वाद में आगे की कार्यवाही समाप्त की जाती है आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/अधीक्षक, मद्यनिषघ, मधेपुरा/थानाध्यक्ष, मुरलीगंज दें तथा एक प्रति जिला के वैवसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

ह0/-
(अभिराम त्रिवेदी)
वरीय उप समाहर्त्ता,मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

ह0/-
(अभिराम त्रिवेदी)
वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा।

डी0बी0 नं0-92/न्या0, दिनांक 28.10.2021

प्रतिलिपिः थानाध्यक्ष, मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः अधीक्षक, मद्यनिषेघ, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को जिला के वैवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(अभिराम त्रिवेदी)
वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा।

28/10/21